



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -

8409 सन् 2026

बृजेश सेठ और 2 अन्य

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 1 अन्य

.....विपक्षी पक्षकार(गण)

आवेदकगण के अधिवक्ता

: आशुतोष उपाध्याय

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह इंगित किया है कि आवेदकगण के विरुद्ध पहले ही आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उन्होंने यह आपत्ति उठाई है कि आवेदकगण के विरुद्ध अभिकथित अपराधों में, दोषसिद्धि की स्थिति में, सात वर्ष से अधिक के कारावास का दंड नहीं है। अतः, आवेदकगण की गिरफ्तारी की कोई आशंका नहीं है।

2. ऐसी आपत्ति उठाए जाने पर, आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना की है कि उन्हें वर्तमान प्रार्थना पत्र वापस लेने की अनुमति दी जाए, साथ ही आवेदकगण को संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर नियमित जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जाए, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, (2021) 10 एस.सी.सी. 773 में दिए गए निर्देशों के अनुसार निस्तारित किए जाने का निर्देश दिया जाए तथा तब तक उनके हितों का संरक्षण किया जाए।

3. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।

4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गई प्रस्तुतियों को दृष्टिगत रखते हुए, यह निर्देशित किया जाता है कि यदि आवेदकगण केस क्राइम संख्या 273 सन् 2022, थाना कोतवाली, जनपद जौनपुर, भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 323, 504 तथा 506 के अंतर्गत, आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हैं, तो उसका माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सतेन्द्र कुमार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अंतिल (उपरोक्त) तथा उसमें पारित उत्तरवर्ती आदेशों के अनुसार शीघ्रतापूर्वक विचार एवं निस्तारण किया जाएगा।

5. आज से चार सप्ताह की अवधि तक, आवेदकगण के विरुद्ध कोई बाध्यकारी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

6. उपर्युक्त टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, यह प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

24 अगस्त, 2026

कुशल

Translated Version, Not For Legal Use.